न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 66 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम(मृत 09.05.15) बनाम
   1 / 1देवाराम पुत्र भंवराराम उम्र 37 वर्ष
   1 / 2दौलाराम पुत्र भंवराराम उम्र31 वर्ष
   1 / 3नरसिंगाराम पुत्र भंवराराम उम्र29
   1 / 4स्वरूपाराम पुत्र भंवराराम उम्र 25
   1 / 5जसराज पुत्र भंवराराम उम्र 22
   1 / 6श्रीमती ढेली बेवा भंवराराम उम्र
2. धन्नाराम पुत्र जवाराम उम्र 62 वर्ष
3. भेराराम पुत्र जवाराम उम्र 50 वर्ष
4. रावल उर्फ रावलराम पुत्र नगाराम उम्र 15 वर्ष अपीलांट संख्या 04 नाबालिग जरिये कुदरति वली ताऊ धन्नाराम पुत्र जवाराराम
5. बाबूराम पुत्र मंगलाराम उम्र 45
6. घेवरचंद पुत्र मंगलाराम उम्र 40
7. अशोककुमार पुत्र मंगलाराम उम्र 34
8. राजूराम पुत्र मंगलाराम उम्र 30
9. गेनीदेवी पत्नी मंगलाराम उम्र 70
10. रायमलराम पुत्र मुकनाराम उम्र 58
11. सवाईराम पुत्र मगाराम उम्र 40
12. खमा पत्नी मगाराम उम्र 71
13. रणछोड़ पुत्र जवाराराम उम्र 78
14. पपू पत्नी सुरताराम उम्र 70 वर्ष
    जाति दर्जी निवासी नया वाटाडू
    तहसील बायतु जिला वाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

1.खेमाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी नया वाटाडू, तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा वाटाडू

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2011 बअनवान खेमाराम बनाम भंवराराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री करनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 01.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि मौजा नया बाटाडू, तहसील बायतु में खसरा संख्या 520 रकबा 130 बीघा की वाके आई हुई थी। उतरदाता संख्या 01 व अपीलांटगण विवादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट से आज तक मौके पर खेती करते आ रहे है तथा दोनों का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उतरदाता संख्या 01 अनपढ व्यक्ति होने के कारण उसे राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं होने

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

का पूर्व में ज्ञान नहीं था तथा वक्त सेटलमेंट राजस्व अधिकारियों ने उतरदाता संख्या 01 का नाम भूलवंश उक्त आराजी में दर्ज नहीं किया। आगे यह भी कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी में 3/4 हिस्सा उतरदाता संख्या 1 का व 1/4 हिस्सा अपीलांटगण का था और इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। तदूपरांत उतरदाता संख्या 01 ने आदेश 06 नियम 17 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी में उसका 2/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा अपीलांटगण का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी पी सी वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट वादग्रस्त आराजी जरिये तहसीलदार बायतु एवं हल्का पटवारी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पर वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त की रिपोर्ट पंत्रावली पर नहीं जब कि उतरदातागण अपने 2/3 हिस्से की भूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है इसी स्थिति में प्रकरण के माफिक निस्तारण व न्यायालय को वास्तविक तथ्यो से अवगत करवाने के लिए वादग्रस्त आराजी की वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त की मौका रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट येन केन प्रकारेण मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। जबकि प्रकरण अंतिम बहस में विचाराधीन है। इस स्टेज पर हस्तगत आवेदन पेश कर प्रकरण को अनावश्क लंबा करना न्यायोचित नहीं है। इसलिए आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी पी सी वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट वादग्रस्त आराजी जरिये तहसीलदार बायतु एवं हल्का पटवारी पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अंतिम बहस में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। लिहाजा आवेदन खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण के अधिवक्ता ने वाद में दिनांक 02.02.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 व 10 से 12 की ओर से हिदायत नहीं होना जाहिर कर No Instruction Plead किये व इसी तरह से दिनांक 18.01.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 05 से 09 व 13, 14 की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर No Instruction Plead कर दिये तथा न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही क आदेश पारित किये गये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अधिवक्ता किसी पक्षकार की हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करता है, उससे पूर्व पक्षकार को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना चाहिये और उसका सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये और सबूत प्रस्तुत करने पर न्यायालय पक्षकार को नोटिस जारी करता है तथा नोटिस के बाद भी नहीं आने पर न्यायालय एकतरफा कार्यवाही कर सकता है, परन्तु न तो इस वाद में अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों को रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया और न ही न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस दिया गया व एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री नाबालिग एवं मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वक्त सेटलमेंट वादी के पूर्वज अनपढ, गवार होने के कारण पर्चा लगान प्रतिवादी के पूर्वजों ने अपने नाम करवा लिया लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि पर पिछले 60–65 वर्षों से वादी का कब्जा काश्त चल आ रहा हैं तथा वादी उक्त खसरा नम्बर 520 में ही निवास कर रहा है जिसमें वादी की ढाणी, पानी के टांके व पशुबाड़े, चारबाडे आदि बने हुए हैं। अपीलांटगण स्वयं की पैरवी में उदासिनता होने से उनके अधिवक्ताओं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष No Instruction Plead कर दिया। अपीलांटगण येन केन प्रकारेण मामला को लंबा करने के लिए हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट सीताराम ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर वाद के संबंध में दिनांक 20.06.2018 को जानकारी प्राप्त की तब अधिवक्ता ने उक्त वाद का निर्णय एकतरफा होना बताया, जिस पर दिनांक 20.06.2018 को अपीलांट सीताराम ने सहायक कलक्टर बायतु में पत्रावली की नकले प्राप्त करने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 20.06.2018 को ही नकले प्राप्त की तब उक्त निर्णय व डिक्री के पारित होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मूल वाद में दिनांक 02.02.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 व 10 से 12 के अधिवक्ता ने हिदायत नहीं होना जाहिर कर No Instruction Plead किये व इसी तरह से दिनांक 18.01.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 05 से 09 व 13, 14 की ओर से अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर No Instruction Plead कर दिया इस आशय की इबारत आदेशिका में अंकित है लेकिन आदेशिका में प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अधिवक्ता किसी पक्षकार की हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करता है, तो न्यायालय पक्षकार को नोटिस जारी करता है तथा नोटिस के बाद भी नहीं आने पर न्यायालय एकतरफा कार्यवाही कर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सकता है, परन्तु न तो इस वाद में अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों को रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया और न ही न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस दिया गया व एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। अपीलांट भंवराराम का देहान्त दौराने दावे हो जाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट रावल उर्फ रावलराम दौराने दावा नाबालिग था जिसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2011 बअनवान खेमाराम बनाम भंवराराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुए बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय दो माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर